

- (क) लेख, जातिवाद और साम्प्रदायिकता, भ्रान्ति या यथार्थ ।
 (ख) लेख, आर्थिक मंदी, समस्या या समाधान ।
 (ग) भारतीय संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति में क्या अंतर है ।
 (घ) सत्यदेव गुप्त सत्य का संघ और इस्लाम संबंधी प्रश्न और उत्तर ।
 (च) बालकृष्ण पिल्लै 25 दिसम्बर के समाज अर्पण की प्रशंसा ।
 (छ) श्री कुदंन लाल कुशवाहा द्वारा मेरी प्रशंसा और चाणक्य की उत्तर ।
 (ज) ईश्वर दयाल जी द्वारा धर्म अध्यात्म पर प्रश्न और उत्तर ।

(क) जातिवाद और साम्प्रदायिकता, भ्रान्ति या यथार्थ

अब तो यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय राजनीति पूरी तरह ही अवसरवाद पर टिकी हुई है । वामपंथी दल ग्रामीण गरीब श्रमजीवी के नाम पर आवाज उठाने का नाटक करते हैं किन्तु कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि रोकने के लिये वही लोग सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं । भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तो गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के पक्ष में कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि करती है और विपक्ष में होते ही उसका विरोध शुरू कर देती है । कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में होती है तब गांवों को अधिक से अधिक अधिकार देने की बात करती है किन्तु सत्ता में आते ही उस बात को भूल कर अन्य मामलों में उलझ जाती है । अवसर वादिता लगातार बढ़ रही है । तीसरा मोर्चा तो पूरी तरह धोषित रूप से अवसरवादियों का है ही किन्तु कांग्रेस और भाजपा भी अवसरवादी कूटनीति का लाभदायक अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहते ।

जातिवाद और साम्प्रदायिकता ऐसी अवसरवादी राजनीति का आधार बने हुए हैं । दोनों बिल्कुल ही अलग मुद्दे हैं जिनमें दूर दूर तक समानता खोजना बेकार की ही कसरत है । साम्प्रदायिकता मुख्य रूप से इस्लाम, इसाइयत और हिन्दुत्व के बीच संख्या बल वृद्धि की प्रतिस्पर्धा है तो जातिवाद हिन्दू धर्मावलम्बियों के बीच स्वतंत्रता के पूर्व लाभ उठा रहे वर्णों और स्वतंत्रता के बाद उस लाभ की स्थिति में हिस्सा बंटाने के लिये प्रयत्नशील वर्णों के बीच की प्रतिस्पर्धा है । भारतीय राजनीति में वर्तमान में चार ध्रुव माने जाते हैं 1. कांग्रेस 2. संघ परिवार 3. वामपंथी 4. दुलमुल । इस चुनाव में वामपंथी भी दुलमुलों की श्रेणी में आते जा रहे हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्र नीति से हार मानकर दुलमुलों से समझौता कर लिया है । इसलिये जातिवाद और साम्प्रदायिकता पर चर्चा करते समय तीन ही ध्रुव दिखाई पड़ रहे हैं ।

हम पहले साम्प्रदायिकता की समीक्षा करें तो पाते हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सदस्य आन्तरिक चर्चा में इस्लाम और इसाइयत के पूरी तरह विरुद्ध है । यहाँ तक कि वे संघ परिवार की अपेक्षा भी अधिक विरुद्ध रहते हैं किन्तु व्यक्तिगत स्थिति से बाहर निकलते ही वे पूरी तरह इस्लाम और इसाइयत के बचाव में आ जाते हैं । कांग्रेस के लोग हर समय तैयार रहते हैं कि मुसलमान इसाई चाहे जितनी भी साम्प्रदायिक बातें करें तो उनका सब पूरी तरह माफ है किन्तु यदि हिन्दु ने आंशिक बात भी की तो ये साम्प्रदायिकता का तुरंत लेबल लगा देते हैं । दुलमुल लोगों का तीसरा मोर्चा तो इस मामले में हमेशा तैयार बैठा ही रहता है । अब वामपंथियों के साथ जुड़ जाने से उनकी मुस्लिम इसाई तुष्टीकरण की एक जुटता और साफ हो गई है । वैसे तो साम्प्रदायिकता की नींव उसी दिन पड़ गई थी जब हिन्दु धर्म से असंतुष्ट अम्बेडकर ने नेहरू को आगे करके हिन्दुओं की छाती में हिन्दु कोड बिल का कीला ठोक दिया था । यह एक आश्चर्य ही माना जायगा कि स्वतंत्रता के बाद हिन्दु समाज सुधारों के लिये सर्वाधिक चिन्तित दिखने वाले दोनो महापुरुषों के मन में उस समय हिन्दू प्रेम का प्रतिशत कितना था और धृणा का कितना यह जग जाहिर है । वह कीला आज भी हिन्दुओं को दर्द देता रहता है । यह दर्द ही संघ परिवार को अपने साम्प्रदायिक सोच को आगे बढ़ाने में खाद पानी का काम करता है । कांग्रेस पार्टी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिये इस खूटा को गाड़े रखना आवश्यक समझती है ।

हिन्दू विरोधी तुष्टीकरण का लाभ उठाकर संघ परिवार ने हमेशा अपने को मजबूत किया । संघ परिवार ने खुले आम स्वयं को हिन्दुओं का संरक्षक घोषित कर दिया और लगातार हिन्दुओं के मन में साम्प्रदायिक बीज मजबूत से मजबूत कर रही है । मेरा मत है कि हिन्दू साम्प्रदायिक हो ही नहीं सकता चाहे वह कांग्रेसी ही क्यों न हो । वह दुलमुल लोगों के साथ मिलकर भी भले ही तुष्टीकरण का नाटक कर ले किन्तु वह वास्तव में तुष्टीकरण का समर्थक नहीं होता । हिन्दू तभी साम्प्रदायिक बनता है जब वह या तो अपना धर्म बदल लें या संघ परिवार के साथ जुड़ जावे या वामपंथियों के साथ । हिन्दू इस्लाम की आतंकवादी या इसाइयत की मीठी धूस की प्रतिक्रिया में ही संघ की तरफ झुकता है अन्यथा वह एकमात्र दुनिया का ऐसा प्राणी है जो धार्मिक मामलों में नुकसान उठा सकता है किन्तु नुकसान कर नहीं सकता ।

संघ परिवार को दूसरा लाभ यह भी है कि कांग्रेस या तीसरा मोर्चा जिस तुष्टीकरण को आधार बनाकर चल रहे हैं उसके दोनो मूल घटक इस्लाम और इसाइयत विदेशी हैं और आकान्ता रहे हैं । संघ परिवार को राष्ट्रवाद को

उभारने में भी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संघ परिवार हिन्दू साम्प्रदायिकता को उभारने में लगातार आगे बढ़ रहा है।

जातिवाद हिन्दुओं का आन्तरिक मामला है। जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था जब तक कर्म पर आधारित थी तब तक कोई विकृति नहीं आई थी किन्तु जब से वह व्यवस्था जन्म पर आई तब से ही धूर्त सवर्णों ने इस व्यवस्था का लाभ उठाया और इस विकृति को इस सीमा तक मजबूत किया कि वह विकृति ही व्यवस्था के रूप में बदल गई। कुछ सवर्णों ने इस विकृत व्यवस्था को फिर से ठीक करने की कोशिश की तो कुछ धूर्त अवर्णों ने इस विकृति का लाभ उठाने के उद्देश्य से अवर्णों को संगठित करना शुरू किया। ऐसे अवर्ण संगठन के मजबूत होने से धूर्त सवर्णों के एक पक्षीय लाभ में बंटवारा हुआ और इस बंटवारे का कुछ प्रतिशत धूर्त अवर्णों के हिस्से में भी चला गया। गांधी जी भी ऐसे जातीय ध्रुवीकरण के विरुद्ध थे और लोहिया जी भी किन्तु नेहरू और अम्बेडकर ने इतनी तीव्रता दिखाई कि न गांधी रोक सके न लोहिया। गांधी और लोहिया हमेशा इस विचार के पक्षधर रहे कि यदि श्रम की मांग और मूल्य बढ़ जावे तो अवर्णों का जीवन स्तर भी अपने आप सुधर जायेगा और जातिवाद भी कम हो जायेगा। किन्तु न अम्बेडकर ने गांधी लोहिया की सुनी और न नेहरू ने। इस दोनों ने मिलकर हिन्दुओं को छाती पर आरक्षण की एक और कील ठोक दी और बता दिया कि इस कील का बाया भाग सर्वण कहा जायेगा और दाया अवर्ण। संघ परिवार इस कील को निकालना चाहता है क्योंकि यह कील हिन्दुओं को ही विभाजित करती है। कांग्रेस पार्टी और तीसरा दुलमुल मोर्चा इस कील को मजबूती से गाड़े रखना चाहता है क्योंकि यह कील ही संघ को रोकने में सहायक हो सकती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कुछ लोग लोहिया तक का नाम लेकर ऐसे जातीय आरक्षण का समर्थन करते रहते हैं जबकि सच्चाई यह है कि लोहिया और गांधी खुले रूप से मशीनीकरण के विरुद्ध श्रम की मांग और मूल्य वृद्धि के पक्षधर थे। स्वतंत्रता के पूर्व सामाजिक आरक्षण का लाभ मुट्ठी भर धूर्त सवर्णों ने उठाकर गरीब ग्रामीण श्रमजीवी वर्ग का शोषण किया और स्वतंत्रता के बाद कुछ धूर्त अवर्ण भी शोषण में शामिल हो गये। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी उस समय भी ठगा गया था और आज भी ठगा जा रहा है यद्यपि पहले की तुलना में जातीय अनुपात थोड़ा सा बदल भले गया हो।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मार्कण्डेय जी काठजू ने जाति प्रथा और जातिवाद विषय पर लेख लिखे हैं। उन्होंने लिखा कि प्रौद्योगिकी के विस्तार ने सवर्णों की जातीय संकीर्णता को बहुत कम किया है जबकि वोटवादी अवर्ण जातीय संगठन बनाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे जातिवाद को प्रोत्साहित कर रही है। मैं उनके विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूँ। आज से पचपन वर्ष पूर्व लोहिया जी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने जातिवाद के खिलाफ विद्रोह किया था और ब्रह्मणों के दबाव के कारण इसाईयों के साथ और बाद में आर्य समाज के साथ जुड़ा। पंचान्वे प्रतिशत हरिजन आदिवासी मुझे आज तक पूरा सम्मान देते हैं किन्तु शेष दो-तीन प्रतिशत वे हरिजन आदिवासी दलित पिछड़े जो आरक्षण का लाभ उठाकर प्रगति कर चुके हैं, मुझसे चिढ़ते हैं क्योंकि मैं दलित सेना आदिवासी मंच का सदस्य नहीं हूँ। मेरा सबसे अधिक विरोध इसलिये होता है कि मैं वर्ग संघर्ष के विरुद्ध वर्ग समन्वय का पक्षधर हूँ। जो सवर्ण जातियाँ जातिवाद और जाति व्यवस्था की पक्षधर थीं वे तो इस वर्ग समन्वय की पक्षधर हैं तथा जो आदिवासी हरिजन आज तक पिछड़े हुए हैं वे भी वर्ग समन्वय के विरुद्ध नहीं हैं किन्तु मुठ्ठी भर पेशेवर सवर्ण नेता या हरिजन आदिवासी दलित पिछड़े जो स्वतंत्रता के बाद लाभान्वित होकर शक्तिशाली हो चुके हैं वे वर्ग समन्वय के घोर विरोधी हैं क्योंकि जिनके वोट बैंक की कीमत पर उन्हें लाभ मिला है वह वोट बैंक कमजोर होना उनके लिये घातक होगा। मैं यह महसूस करता हूँ कि जातीय मामलों में समानता का व्यवहार करना सवर्णों का कर्तव्य तो है किन्तु अवर्णों का अधिकार नहीं। गांधी और लोहिया इसे सवर्णों के कर्तव्य तक सीमित रखना चाहते थे। किन्तु अम्बेडकर और नेहरू ने इसे अधिकार बनाने की जिद की। गांधी जी चले गये और लोहिया जी अकेले पड़ गये। परिणाम स्वरूप संघर्ष समर्थक लगातार अधिकार प्रणाली को मजबूत करते चले गये। आज तो हालत यह हो गई है कि अधिकार छीनने और अधिकार बचाने की प्रतिस्पर्धा में आम भारतीय पिस रहा है। ये छीनने और बचाने वाले अति अल्प संख्या में होते हुए भी सम्पूर्ण समाज को जातिवाद और साम्प्रदायिकता के नाम पर अशांत किये रहते हैं।

औसत हिन्दू का यह संस्कार होता है कि वह धृष्टता तो कर सकता है किन्तु आक्रमण नहीं कर सकता। वह त्याग सकता है पर छीन नहीं सकता। वह स्पष्ट कह सकता है किन्तु दुहरा व्यवहार नहीं कर सकता। औसत हिन्दू का यह संस्कार आसानी से नहीं बदलता। किन्तु वही हिन्दू जब मुसलमान साम्यवादी संघ परिवार वाला या दलित बन जाता है तो उसके संस्कार बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। वह अपने से प्रेम और दूसरों से हिंसा का मार्ग पकड़ लेता है। वह न्याय की जगह अपनत्व तथा त्याग की जगह अधिकारों की छोटा झपटी पर विश्वास करने लगता है। मेरे विचार में यह मार्ग घातक है।

यदि हम धार्मिक टकराव और जातीय टकराव पर अलग अलग विचार करें तो सवर्णों द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व अवर्णों पर अत्याचार और शोषण स्वयं सिद्ध है। उसी तरह मुसलमानों का हिन्दुओं पर अत्याचार और शोषण भी प्रमाणित ही है। यदि स्वतंत्रता के पूर्व के अत्याचारों की स्वतंत्रता के बाद आंशिक भरपाई करनी है तो आरक्षण भी जारी रखना उचित है और बनारस के विश्वनाथ मंदिर को भी हिन्दुओं को सौंपना चाहिये। यदि आप स्वतंत्रता पूर्व के पुराने टकरावों को यही भूलकर नयी संहिता में समानता से जीना चाहते हैं तो दोनों दिशाओं में भूलना चाहिये। वामपंथी समाजवादी संगठित दलित आदिवासी पिछड़े सवर्ण हिन्दुओं को स्वतंत्रता के पूर्व के सारे साम्प्रदायिक अत्याचार भूलने की सलाह तो दे रहे हैं किन्तु स्वयं जातीय अत्याचारों को भूलने के विरुद्ध सबको लाभचंद भी करना आवश्यक मानते हैं। दूसरी ओर आर एस एस विश्व हिन्दू परिषद शिवसेना आदि जातीय अत्याचार तो भूलने की बात करते हैं किन्तु धार्मिक अत्याचारों को भूलने के विरुद्ध हिन्दुओं को संगठित करते रहते हैं।

मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि " साम्प्रदायिकता और जातीय भेदभाव" सामाजिक शान्ति के दो बड़े शत्रु हैं। हमें चाहिये कि हम तत्काल पुराने इतिहास को यही रोककर ऐसी संहिता लागू कर दे जो भविष्य में पूरी तरह समानता की गारंटी दे। बाबरी मस्जिद को भी मस्जिद मान ले तथा आरक्षण जैसे प्रावधान भी हटा दें। बदले में हम समान नागरिक संहिता लागू कर दे तो हिन्दुओं को राहत संभव है तथा श्रम की मांग श्रम का मूल्य बढ़ जाने दे तो हरिजन आदिवासी पिछड़ों की कुछ भरपाई संभव है। जातीय भेदभाव पर रोकथाम के लिये यदि एक प्रावधान हो जाय कि जो व्यवसाय सवर्ण नहीं कर सकते उनके उनके मूल्य बहुत अधिक बढ़ा दिये जावे तो जीवन स्तर भी सुधर जायगा और जातिवाद भी कम हो जायगा। किन्तु कोई भी नेता कभी भी गांधी लोहिया के इस मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता क्योंकि इससे तो उसकी धर्म जाति के नाम पर चलने वाली दुकान दारी ही बन्द हो जायगी। फिर भी मेरी आप सबको सलाह है कि आप वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय पर सोचना शुरू करें।

(ख) आर्थिक मंदी, समस्या या समाधान

पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का कुहराम मचा हुआ है। सभी पूँजीवादी देश भी इस मंदी से चिन्तित हैं तथा वामपंथी देश भी। चारों तरफ आपात्कालीन उपाय खोजे जा रहे हैं। नये नये पैकेज दिये जा रहे हैं। टैक्सों का सिस्टम भी बदला जा रहा है। भारत भी इस दिशा में सतर्क कदम उठाने में लगा हुआ है।

मैंने भी आर्थिक विश्लेषक के नाते समझना शुरू किया। कई नामी समाजशास्त्रियों से चर्चा की कि आर्थिक मंदी क्या है तो सबका उत्तर था कि अर्थिक मंदी में सामान्य नागरिक की कय शक्ति घट जाती है। मैंने भारत में इस कय शक्ति पर विचार किया तो मुझे तो न आम आदमी की परिभाषा समझ में आई न उस पर पड़ने वाला प्रभाव। मुझे तो कोई भी अर्थ शास्त्री यह " आम आदमी और उस पर प्रभाव की" चर्चा के स्थान पर आयात निर्यात, सेन्सेक्स का गिरना, मुद्रा स्फीति का उतार चढ़ाव, विकास दर आदि अनेक जालों में उलझाने का उपक्रम करता रहा।

आर्थिक मंदी का पहला असर दिखा कि पूरे विश्व में डीजल पेट्रोल की कीमत कुछ महिनो में ही एक चौथाई रह गई है। प्रश्न उठता है कि क्या पूरी दुनिया के आम नागरिकों की कय शक्ति एकाएक इतनी कम हो गई कि डीजल पेट्रोल की मांग नहीं रही और मूल्य कम हो गये? जब एकाएक इनका उत्पादन नहीं बढ़ा, खपत नहीं घटी, तो मूल्यों में इतना अन्तर कहा से आया। अमेरिका के कुछ बैंकों में लोगों का जमा धन डूब गया, दुनिया के कुछ और बैंकों पर खतरा आया, तो पहला तात्कालिक और गंभीर प्रभाव डीजल पेट्रोल पर ही क्यों पड़ा? भारत सरकार ने भी अपनी अर्थ व्यवस्था के संकट को महसूस करते हुए तथा परिस्थितियाँ विपरित होते हुए भी पहले कदम के रूप में डीजल पेट्रोल में मूल्य पच्चीस प्रतिशत कम कर दिये। भारत में आर्थिक मंदी के कारण किन आम नागरिकों की कय शक्ति घटने का खतरा था जिनको राहत देने के लिये इनके मूल्य कम किये गये? यदि डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटते तो इनकी खपत कम हो जाती। इससे क्या नुकसान संभावित था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि वह कौन सा पड़यंत्र था जिसके फूटते ही डीजल पेट्रोल व्यवस्था के बीमार होने का खतरा पैदा हो गया जिससे आम आदमी संकट में फँस सकता था। जिसके कारण भारत सरकार को यह सक्रियता दिखानी पड़ी।

आर्थिक मंदी का एक दूसरा तात्कालिक प्रभाव दिखा कि सेन्सेक्स तेजी से नीचे आ गया। आज से साढ़े चार वर्ष पूर्व जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री बने थे उस दिन भारत में सेन्सेक्स 6300 था जो तीन दिन बाद घटकर 5000 होगया था। चार वर्षों में ही सेन्सेक्स पांच हजार से बढ़कर इक्कीस हजार हो गया और अभी के छ महिनो के बाद सेन्सेक्स इक्कीस से घटकर ग्यारह हजार रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आर्थिक मंदी क्या है? यदि साढ़े चार वर्षों में सेन्सेक्स पांच हजार से घटते बढ़ते अन्त में ग्यारह हजार पर है तो यह मन्दा हुआ कि तेज। यदि हम नौ प्रतिशत भी विकास दर मान ले तब भी साढ़े चार वर्षों में ग्यारह हजार से कम ही होता है। फिर इतनी चिन्ता क्यों? यदि सेन्सेक्स पांच से बढ़कर इक्कीस हुआ तब लाभ किनको हुआ और इक्कीस से घटकर ग्यारह हुआ तो हानि किनको हुई? क्या प्रभाव पड़ा सामान्य जन पर?

विकास दर के लिये भी बहुत चिन्तित हैं अर्थ शास्त्री। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि इसके बढ़ने घटने से किन लोगों को लाभ हानि होती है। मैंने सुन रखा है कि विकास दर गरीब वर्ग की करीब एक प्रतिशत के आस पास और सम्पन्नो की सत्रह प्रतिशत है जिसका औसत नौ मानते हैं। अब यह विकास दर एक और तेरह होने की उम्मीद है जिसका औसत सात हो जायगा। हो सकता है कि यह कुछ और घट जावे किन्तु गरीब श्रमजीवी की विकास दर में नगण्य ही कमी आयगी और वह एक के आस पास ही रहने की उम्मीद है।

एक चौथा शब्द है आम आदमी। सारा पड़यंत्र इसी शब्द में छिपा है सरकार ने गरीबी रेखा का एक मानक बना रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति तेरह रूपया प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र का उन्नीस रूपया प्रतिदिन से कम हो तो गरीब माना जायगा। ऐसे गरीबों की संख्या सरकारी रिकार्ड में करीब बीस करोड के आस पास है। अभी कुछ माह पूर्व अर्जुन सेन गुप्त आयोग बना जिसने रिपोर्ट दी कि भारत में ऐसे गरीबों की संख्या करीब अस्सी करोड है जो बीस रूपया प्रतिदिन से भी कम पर गुजर बसर करते हैं। समझ में नहीं आता कि तेरह रूपया का एक मानक रहते हुए एक नया मानक बीस रूपया मानकर सर्वेक्षण की जरूरत क्या थी? शायद आंकड़े बढ़ाकर दिखाना उद्देश्य रहा हो। अब हम इन बीस रूपया प्रतिदिन में कम वालों को आम आदमी मान ले और इससे ज्यादा वालों को खास तो प्रश्न उठता है कि किसकी कय शक्ति कम हुई? ये बीस रूपया से कम वाले तो न डीजल पेट्रोल पर ज्यादा

निर्भर है न सेन्सेक्स पर । ये निर्भर है अपने शारीरिक श्रम पर। पहले भी उपेक्षित था और आज भी है। फिर इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?

आर्थिक मंदी का सर्वाधिक हल्ला सुनाई देता है जमीन और मकानों की मंदी पर । जमीनों के मूल्य कम हो रहे हैं। मकानों के ग्राहक नहीं मिल रहे । मुझे समझ में नहीं आता कि यह मूल्य हास समस्या है या समाधान। जमीनों के दाम घट रहे हैं तो समाज के लिये संतोष का विषय है कि चिन्ता का ? मकान खरीदने वालों की राहत के लिये व्याज सस्ता किया जा रहा है । जब मकानों का दाम घट रहा है तो फिर खरीदने वालों को राहत क्यों ? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि आर्थिक मंदी का अस्सी करोड़ लोगों पर कैसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

बेरोजगारी का भी खुब हल्ला हो रहा है । मुझे तो अब तक अस्सी करोड़ श्रमजीवियों या गरीबों पर बेरोजगारी का कोई खतरा नहीं दिखा। जो शेष बीस करोड़ बीस रुपया से अधिक वाले लोग हैं उनकी वृद्धि का मूल्य अवश्य कम हुआ है। ऐसे लोगों में कुछ बेरोजगार भी हो सकते हैं । यदि ऐसे कुछ लोगों के रोजगार घट जावे तो चिन्ता की बात क्या है? हजारों रुपया रोज कमाने वाले कुछ दिन कम कमा लेंगे या घर बैठ जायेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोजगार में जो भी कमी हो रही है या हो सकती है वह सब वृद्धिजीवी शहरी सम्पन्न रोजगारों में है और वह भी पिछले पांच वर्षों में बेतहाशा बढ़े रोजगार से है न कि श्रमजीवी गरीब ग्रामीण के रोजगार पर।

आर्थिक मंदी का अर्थ आम नागरिकों की इच्छा शक्ति में कमी है न कि वस्तुओं की मांग में कमी। यदि किन्हीं वस्तुओं के मूल्य अपेक्षा से बहुत अधिक बढ़ गये हों तथा आम लोगों को भविष्य में मूल्य कम होने की संभावना हो तो वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है और मूल्य भी। किन्तु लोगों की कय शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एकाएक पूरे विश्व में कम हो जावे। मेरे अपने परिवार में एक कार खरीदने की तैयारी थी तथा एक जमीन भी खरीदने का विचार था। एकाएक जब आर्थिक मंदी का प्रचार हुआ तो हमारे परिवार वालों ने कार खरीदने का विचार कुछ महिनो के लिये स्थगित कर दिया । इसके विपरीत ग्राहक खोजकर जमीन बेच दी जबकि पहले खरीदने की योजना थी इस परिवर्तन का कय शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं था । सम्बन्ध सिर्फ यही था कि पहले खरीदी हुई वस्तु के मूल्य बैंक व्याज की अपेक्षा अधिक बढ़ जाने की संभावना थी जो पलटकर घट जाने की संभावना में बदल गई। ऐसी संभावना में सरकारों की क्यों भूमिका होती है। यदि यह बाजार का खेल है तो इस खेल से बाजार का ही लाभ या हानि होती है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव इस खेल में शामिल खिलाड़ियों पर होता है, खेल से बाहर रहने वालों पर नहीं। सरकारें यदि इस खेल से लाभ उठाते समय मूक दर्शक थीं तो अब इतनी चिन्तित किनके लिये हैं। मैंने आर्थिक मंदी के हल्ले के सात दिन बाद ही सुना कि किसी उद्योगपति की सम्पत्ति हजार करोड़ कम हो गई तो किसी की दो हजार करोड़ । इनकी पूँजी इसी तरह बढ़ी भी थी। पता नहीं सरकार क्यों इतनी चिन्तित हुई कि उसने पैकेज पर पैकेज देने शुरू कर दिये। यदि बाजार में डीजल पेट्रोल की मांग और मूल्य घट जावे, कार और स्कूटर सस्ते हो जावे वृद्धिजीवियों की मांग और मूल्य कम हो जावे , जमीन सस्ती हो जावे तो यह समाज के श्रमजीवी ग्रामीण गरीब के लिये समस्या का विस्तार है या समाधान। यदि किसी साधारण व्यक्ति की कय शक्ति से बाहर रहने वाला मकान उसकी शक्ति के अन्दर आ जावे तो ऐसी आर्थिक मंदी तो आगे भी जारी रहनी चाहिये भले ही ऐसी मंदी से कुछ बड़े बड़े लोगों की कय शक्ति घट रही हो या उनके कल कारखाने बन्द हो रहे हो या ऐसी बन्दी से कुछ लोग बेरोजगार हो रहे हों।

हो सकता है कि दुनिया के अन्य देशों पर ऐसी मंदी का कोई बुरा प्रभाव पड़ा हो या या पड़ने की उम्मीद हो किन्तु भारत में तो इससे कुल मिलाकर लाभ ही हुआ है। जब भूमि भवन के मूल्य कम हो रहे हो तब खरीदने वालों का सस्ते व्याज पर कर्ज दिया जावे और जब भूमि भवन मंहगे हो तब अधिक व्याज पर कर्ज दिया जावे ऐसी सरकारी नीतियों बिल्कुल स्पष्ट करती हैं कि सरकारों को श्रमजीवी गरीब ग्रामीण की कोई चिन्ता नहीं। इसके विपरीत सरकारें शहरी पूँजीपति वृद्धिजीवियों के लिये अधिक चिन्तित रहती हैं । दुनिया के अन्य देशों का तो यह स्वभाव है ही क्योंकि उनकी तो पूरी की पूरी अर्थ व्यवस्था ही इन्हीं के सहारे चलती है किन्तु भारत का हाल तो वैसा नहीं। इसलिये मेरा आग्रह है कि दुनिया में आई व्यापक मंदी का भारत की सरकार और जनता को स्वागत करना चाहिये । बहुत प्रतीक्षा के बाद तो ऐसा अवसर आया है। अब हाय तौबा करना ठीक नहीं।

इस समय पूरी दुनिया में दो प्रकार का अर्थ व्यवस्थाएँ हैं 1. राज्य नियंत्रित 2. राज्य संरक्षित। राज्य नियंत्रित व्यवस्था को समाजवाद या साम्यवाद कहा जाता है और राज्य संरक्षित को पूँजीवाद। राज्य नियंत्रित व्यवस्था तो पूरी तरह असफल और अव्यावहारिक घोषित हो चुकी है। राज्य संरक्षित अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थ व्यवस्था को स्वतंत्र नहीं होने दिया जाता बल्कि तब तक आगे बढ़ने की छूट दी जाती है जब तक पूँजीवाद संकट में न आ जावे। जब तक भूमि , भवन, सेन्सेक्स, मुद्रा का महत्व बढ़ता रहा तब तक सरकार चुप रही और ज्योंही उसका प्रभाव घटना शुरू हुआ सरकारें सक्रिय हो गईं। समाजवादी या साम्यवादी अर्थ व्यवस्था की तो अब छाती पीटने के अलावा कोई भूमिका बची नहीं है। पूरी दुनिया ने साम्यवाद को भी नकार दिया है और समाजवाद को भी। भारत में अब भी अनेक ऐसे लोग हैं जो साम्यवाद समाजवाद की प्रतीक्षा में बौद्धिक कसरत करते रहते हैं । ज्योंही पूँजीवाद के दुष्परिणाम सामने आते हैं त्योंही ये समाजवाद साम्यवादके समर्थन में कलम कागज निकालकर सक्रिय हो जाते हैं । ऐसे लोगों की बात हम छोड़ भी दें तो हमें वर्तमान पूँजीवाद का विकल्प तो तलाशना होगा ही। इस पूँजीवादी व्यवस्था के सहारे तो हमारी अर्थ व्यवस्था ठीक से चल नहीं सकती। मेरे विचार में तीन विकल्प हो सकते हैं। 1. अर्थ व्यवस्था पूरी तरह राज्य नियंत्रण मुक्त 2. एक स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था जो लोकतंत्र के अन्तर्गत न्याय पालिका कार्यपालिका और विधायिका के समान बराबर संवैधानिक अधिकार युक्त हो 3. विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था जिसमें प्रत्येक इकाई को सीमित मात्रा में स्वतंत्र आर्थिक अधिकार हों। क्या हो यह भिन्न विषय है किन्तु कोई न कोई विकल्प हो अवश्य। इन मुद्दों पर विचार मंथन होना चाहिये।

कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

(ग) प्रश्न— पश्चिम की संस्कृति और भारत की संस्कृति में मूल अन्तर क्या है ?

उत्तर— पश्चिम की संस्कृति के मूल में रहा है व्यक्ति और पुरानी भारतीय संस्कृति के मूल में समाज। पश्चिम में व्यक्ति को तब तक महत्व दिया जाता है जब तक वह समाज के लिये खतरनाक न हो जावे। भारत में इससे ठीक विपरीत है। यहाँ समाज को तब तक महत्व दिया जाता है जब तक व्यक्ति पर अत्याचार न होने लगे। इसका अर्थ यह हुआ कि पश्चिम में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति स्वातंत्र्य है और हिन्दू संस्कृति में आवश्यकता से भी कम व्यक्ति स्वातंत्र्य है। पश्चिम में सामाजिक नियम कानून व्यक्ति समूह मिलकर बनाते हैं जबकि हमारी संस्कृति में सामाजिक नियम कानून ऋषि मुनि विद्वान मिलकर बनाते हैं और हम उनका उसी प्रकार पालन करते हैं। यह कारण है कि पश्चिम मानवाधिकार का प्रबल पक्षधर है और भारत मानवाधिकार को गौण समझता है।

वर्तमान समस्या यह है कि पश्चिम अपनी व्यक्तिवादी मानवाधिकार वादी सोच से भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। भारत में आज जो कठोर सामाजिक अनुशासन से व्यक्ति को राहत मिली है वह पश्चिम की ही देन है। पश्चिम ने ही भारतीय जनमानस को कुछ मुक्ति दिलाई है। किन्तु साथ ही भारत में अव्यवस्था बढ़ने का मुख्य कारण भी पश्चिम ही है। भारत ने बिना पूर्व तैयारी के ही व्यक्ति स्वातंत्र्य और मानवाधिकार की नकल करनी शुरू कर दी। भारत में अपराधियों को दण्डित करने की जितनी सशक्त व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं बनी और व्यवस्था बनने के पूर्व ही मानवाधिकार की नकल शुरू हो गई। पश्चिम के देशों में एक लाख की आबादी पर न्यूनतम दो सौ चालीस पुलिस के लोग हैं। भारत में यह राज्य स्वीकृत संख्या डेढ़ सौ है और वास्तविक एक सौ। पश्चिम में पुलिस विभाग पर अस्सी प्रतिशत दायित्व अपराध नियंत्रण का है और बीस प्रतिशत अन्य समाज निर्माण का। भारत में पुलिस पर इससे ठीक उल्टा दस प्रतिशत दायित्व ही अपराध नियंत्रण का है शेष नब्बे प्रतिशत समाज निर्माण का। हमारी व्यवस्था तो इतनी कमजोर है और आदर्श पश्चिम के मानवाधिकार की नकल करने का। मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा उत्तर उतना स्पष्ट नहीं बन पा रहा है जितनी सरल भाषा में स्पष्ट होना चाहिये। भविष्य में और प्रश्न होंगे तब सुविधा होगी।

एक बात स्पष्ट है कि पश्चिम का अतिवादी व्यक्ति स्वातंत्र्य भी घातक है और हमारा अतिवादी मजबूत केन्द्रीकरण भी। बीच का मार्ग है प्रत्येक इकाई को इकाईगत स्वतंत्रता। व्यक्ति को व्यक्तिगत, परिवार को पारिवारिक, गांव को गांव सम्बन्धी, जिले को जिले सम्बन्धी, प्रदेश को प्रदेश संबंधी और देश को राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के सामधान के निर्णय में अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिये। कोई भी इकाई किसी अन्य इकाई की सीमाओं का अतिक्रमण न कर सके यह गारंटी देना विश्व व्यवस्था का दायित्व होना चाहिये। इस व्यवस्था से हटकर मानवाधिकार के उच्च आदर्शों की नकल करना घातक होगा जैसा कि अभी हो रहा है। मैं तो इस मत का हूँ कि पश्चिम का विकेन्द्रीकरण और भारत का केन्द्रीकरण से बीच का मार्ग ही ठीक रहेगा ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाय।

प्रश्न— आप बार बार लिखते हैं कि महिला और पुरुष दो अलग अलग वर्ग न होकर व्यक्ति ही है जो व्यक्ति के रूप में तो एक दुसरे के पूरक है किन्तु संगठन के रूप में घातक। आप महिला आरक्षण विधेयक का भी समर्थन नहीं करते। कुछ दिनों पूर्व महिला सशक्तिकरण दिवस पर भी आपने जो भाषण दिया वह बिल्कुल अलग ही था। आप इस संबंध में थोड़ा विस्तार से समझाइयें।

उत्तर— चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों या तो व्यक्ति होते हैं या परिवार। इसके बीच में कोई तीसरा संगठन ही नहीं सकता। स्त्री और पुरुष एक दुसरे के पूरक हैं, विकल्प नहीं। परिवार में स्त्री पुरुष के अभाव में या पुरुष स्त्री के अभाव में अपने वर्ग के साथ मिल कर अपनी पूर्ति नहीं कर सकता। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के complement ही होते हैं supplement नहीं हो सकते। दोनों ऐसी दौड़ दौड़ते हैं जिसमें दोनों का एक एक पैर तो खुला है और एक एक मिलाकर बांधा है। इस तीन पैर की दौड़ में न दो महिलाएँ पैर बांध कर दौड़ सकती हैं न ही दो पुरुष। जब समाज व्यवस्था के लिये ऐसी शर्तों वाली तीन पैर की दौड़ अनिवार्य है तब महिला और पुरुष पृथक वर्ग हो कैसे सकते हैं, क्योंकि वर्ग बनने के लिये तो आपका पैर खुला होना चाहिये।

जब पुरुष और महिला पृथक वर्ग हैं ही नहीं तो पृथक चिन्ता कैसी? कोई यदि ऐसी अलग चिन्ता करता है तो उसके पीछे कोई दूर का स्वार्थ छिपा है। महिला सशक्तिकरण दिवस पर आरक्षण समर्थक सभी पुरुष नेताओं का स्वर एक ही था कि आरक्षण हो। मैंने दो सुझाव दिये कि या तो दस वर्ष के लिये सभी स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिये जावे अथवा महिला आरक्षण में एक नई शर्त जोड़ी जावे कि एक परिवार का एक ही व्यक्ति उक्त पद पर जा सकेगा। मेरे सुझाव पर सभी पुरुषों को भी आपत्ति थी और महिलाओं को भी। सच्चाई यह है कि कुछ सक्षम लोग सारे सामाजिक लाभ कम से कम परिवारों के बीच समेटना चाहते हैं। स्वतंत्रता के समय यदि पांच सौ बयालीस सांसदों में पांच सौ परिवारों का प्रतिनिधित्व था तो अब करीब साढ़े तीन सौ का ही बचा है और महिला आरक्षण ढाई सौ में ही समेट देगा। सभी नेता किसी न किसी आधार पर इसी तिकड़म में हैं कि उनके परिवार के सभी सदस्य लाभ के पद पर पहुँच जावे और ऐसा पद पाने के लिये महिला आरक्षण आवश्यक है।

ऐसे आरक्षण की आवाज सक्षम और सुविधा प्राप्त पदों तक ही सीमित है। सम्पूर्ण भारत में ऐसे आरक्षण का लाभ उठाने की क्षमता एक प्रतिशत से भी कम परिवारों की महिलाओं तक ही सीमित है। शेष निर्यान्त्रे प्रतिशत को न कोई लाभ है न भूमिका। मैंने पढ़ा है कि लीची का पेड़ यदि नई भूमि पर लगाना है तो आवश्यक है कि किसी पुराने लगे हुए लीची के पेड़ की मिटटी खोदकर उस नई भूमि में डाली जावे। आरक्षण का आंदोलन चलाने

वाली महिलाओं की यदि पृष्ठभूमि का आकलन करे तो अधिकांश के परिवार का कोई न कोई सदस्य इस दिशा में उसे प्रेरित करने वाला है ही। इनमें अनेक तो ऐसी भी हैं जो अपने परिवार के पुरुष सदस्यों की प्रेरणा के अभाव में अवैध पुरुषों से भी प्रेरणा लेने में नहीं हिचकती। नारायण दत्त जी तिवारी ने अकेले ही कितनी महिलाओं को सक्षम बनाया यह सूची लम्बी हो सकती है। स्वाभाविक है कि ऐसी महिलाओं की आरक्षण की मांग में अग्रणी भूमिका होगी ही और पीछे से समर्थन में उनके पुरुष परिवार या मित्र खड़े ही हैं। बाकी निर्यान्वये प्रतिशत पुरुष या स्त्री इसमें कुछ कर सकते ही नहीं हैं। राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने को आतुर महिलाओं में से कितने प्रतिशत सफल परिवार व्यवस्था चला रही है इसकी भी जाँच की जावे तो ऐसा प्रतिशत बहुत कम ही होगा। जो महिला परिवार नहीं चला सकती वह देश चलाने के लिये बहुत व्याकुल है। ऐसी महिलाओं का प्रतिशत आधे से तो अधिक ही होगा कम नहीं। यदि यह तर्क दिया जाये कि पुरुषों में भी महिलाओं की अपेक्षा ऐसे लोगों का प्रतिशत कम नहीं तो फिर महिलाओं पर ही आपत्ति क्यों? यह प्रश्न इस लिये गलत है कि क्या आपको किसी गलत काम की हिस्सेदारी में विशेष प्रावधान चाहिये? सोचने का विषय है कि भ्रष्टाचार या पारिवारिक मामलों में चरित्र पतन का प्रतिशत राजनीति में ही क्यों गिर रहा है और इसके समाधान में आरक्षण की भूमिका क्या है? मुझे तो अब भी लगता है कि राजनीति से जुड़े कुछ परिवार अपनी महिलाओं को आगे करके ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते रहते हैं और हम लोग उसी हवा में बह जाते हैं।

एक व्यक्ति ने मीटिंग में प्रश्न किया था कि आजकल महिलाएँ बेची जाने लगी हैं। क्या यह मानवता के विरुद्ध नहीं है? मैंने बहुत विचार किया तो पता चला कि प्रश्नकर्ता हर मामले में सिर्फ प्रश्न करना ही जानता है, उत्तर तो उसने न कभी सोचा न सोचने की जरूरत समझी। एक लड़की का पिता अपनी कम योग्य कम सुन्दर लड़की अधिक योग्य लड़के या उसके परिवार को देता है और बदले में धन भी देता है तो यह दहेज के नाम पर आपत्ति जनक है। एक लड़की का पिता अपनी अधिक योग्य लड़की कम योग्य को देकर धन लिया तो इसमें लड़की बेच दी गई। कल्पना करिये कि लड़कियाँ समाज में लड़को से अधिक हो जावे तथा दहेज बढ़ जावे तब भी आपत्ति। मैंने प्रश्नकर्ता से पूछा कि लड़की घर में तो रहेगी नहीं। उसे देना तो है ही। यह निर्णय परिवारों के आपसी निर्णय पर ही क्यों न छोड़ दें कि धन देना है या लेना है। समाज को इस बीच में क्यों हस्तक्षेप करना चाहिये? आज कल हर ऐसा गैरा नत्थू खैरा समाज सेवक दहेज और कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करता मिल जायगा। जिसे समाज सेवा का करवग भी नहीं मालुम वह भी इन दो बातों पर अवश्य ही एक लम्बा भाषण दे देता है। यदि समाज में कड़ाई से दहेज को रोक दिया जावे तो स्वाभाविक है कि गरीब घरों की लड़कियाँ अमीर घरों की ओर आकर्षित होगी। तब अमीर घरों की लड़कियों को और कहाँ भेजेगे। यदि भ्रूण हत्या का विरोध हो तो अलग बात है अन्यथा सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या तो अनावश्यक मुद्दा है। यदि लड़कियों की समाज में कुछ कमी होने से उनकी मांग और महत्व बढ़ जावे तथा दहेज समाप्त हो जावे तो आप इतने उतावले क्यों हैं? जब समाज में लड़कियों की मांग कम थी और पूर्ति ज्यादा तथा दहेज चरम पर था तब तो आप जैसे अनाडी समाज चिन्तकों ने पता नहीं क्या सोचकर हिन्दू कोड बिल बनाकर एक पुरुष एक स्त्री तक की सीमा निर्धारित कर दी। अब कुछ अनुपात बदला है और महिलाओं को समाज में कुछ मांग बढ़ रही है तो आप अब कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध परेशान हो रहे हैं।

एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों में हमेशा पति ही आक्रामक क्यों होता है? क्यों नहीं दोनों के बीच समान संबंध हो। मुझे उसके प्रश्न पर बहुत आश्चर्य हुआ। पति और पत्नी के बीच कौन आक्रामक हो कौन सुरक्षात्मक इसकी चिन्ता उन्हें ही क्यों न करने दे। पुरुष और महिला की शारीरिक बनावट ही ऐसी है कि ऐसे व्यक्तिगत सम्बन्धों में पुरुष का आक्रामक होना प्राकृतिक आवश्यकता है। यदि पुरुष ही न भावना से ग्रसित हो जावे तो सारी व्यवस्था ही चौपट हो जायेगी। यदि किसी कारण वश ऐसा हुआ तो पुरुष का मानसिक इलाज कराना पड़ता है। यही कारण है कि समाज में विवाह के पूर्व ही पुरुष और स्त्री की क्षमता का आकलन करते समय लड़के को लड़की से अधिक योग्य और सक्षम चुनने की प्रथा है। यदि लड़का लड़की की अपेक्षा कम योग्य हो और कोई अन्य कारण न हो तो विवाह बेमेल मान लिया जाता है।

आज सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि परिवार के पारिवारिक मामलों में समाज का हस्तक्षेप करने की सीमा क्या हो और समाज के सामाजिक मामलों में कानून के हस्तक्षेप की सीमा क्या हो? जब कोई परिवार इन दोनों सीमाओं को तोड़ता है तभी कानून को हस्तक्षेप करना चाहिये। वर्तमान स्थिति तो यह है कि कानून निर्माता न परिवार की सीमाओं को समझ रहे हैं न समाज की। इनकी स्वयं की क्षमता और चरित्र भी परिवारों और समाज के औसत चरित्र की अपेक्षा कमजोर ही है। ऐसे एक गिरोह ने अपने मनमाफिक एक किताब लिखकर उसे संविधान कह दिया और उस संविधान के आधार पर परिवार और समाज व्यवस्था के उपर स्वयं को स्थापित कर लिया। ये लोग जब चाहें तब उस किताब में महिलाओं को शोषित लिख दें और जब चाहे तब हटा दें। ये लोग जब चाहे तब उस किताब में उक्त नकली समस्या का समाधान लिखकर हम पर थोप दें और जब चाहे तब उक्त समाधान को ही धातक लिखना शुरू कर दें। ये दो गुटों में बंटकर नाटक करते रहते हैं और समाज नाटक को ही टकराव समझ कर देखने में व्यस्त हो जाता है। अब यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि परिवार व्यवस्था के टूटने का मुख्य कारण भी वह किताब ही है जो स्त्री और पुरुष को दो वर्गों में खड़ा करके राजनेताओं का स्वार्थ पूरा करना चाहती है।

हर राजनेता सामाजिक एकता से डरता है। वह समाज को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, आर्थिक असमानता तथा उत्पादक उपभोक्ता के आठ आधारों पर बाँटकर वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष, वर्गसंघर्ष के प्रयत्न करता रहता है। इनमें से भाषा क्षेत्रीयता उम्र और उत्पादक उपभोक्ता वर्ग संघर्ष के लिये स्थायी आधार न होकर तात्कालिक आधार ही बन पाते हैं। ये सभी मुद्दे कुछ समय तक ही काम करते हैं लम्बे समय तक टिकते नहीं। धर्म जाति के मुद्दे स्थायी तो हैं किन्तु स्पष्ट ध्रुवीकरण नहीं कर पाते। आर्थिक विषमता का मुद्दा सफल नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में महिला पुरुष का वर्ग भेद ही सर्वाधिक स्पष्ट और दीर्घकालिक वर्ग संघर्ष की दिशा में सफल हो

सकता है। यह मुदा लम्बे समय तक समाज में धुवीकरण करने की क्षमता रखता है। इसलिये सभी राजनैतिक दल पूरी इमानदारी से इस कोशिश में सकिय है कि महिला और पुरुष को दो समूहों में बांटकर इनमें वर्ग संघर्ष की स्थिति बनाना ही उनके लिये सबसे अच्छा मार्ग है। हम सतर्क रहकर विचार करें और उनसे अलग रहकर सोचें।

(घ) सत्यदेव गुप्त सत्य रूदौली बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

प्रश्न— ज्ञान तत्त्व अंक एक सौ इकहत्तर पढा। मन में प्रश्न उठा कि आर. एस. एस. आर्य समाज अराजनैतिक संस्थाएँ हैं परन्तु इन सब के साथ ही किसी अन्य अराजनैतिक संस्था का नाम बताइये जिससे समस्त हिन्दू समाज का निर्विवादित संबंध और जुड़ाव हो, गैर हिन्दुओं का तो इस संस्था से जुड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक दौ शो मैन की बात अलग है। इस विषय में तो मुस्लिमों में कोई भ्रम रहा ही नहीं है। उनके यहाँ तो प्रत्येक क्षेत्र में एक नेता एक पथ है, एक किताब और एक रसूल के उपरांत सारी दुनिया की सारी मान्यताएँ, सारे ज्ञान जो उन की तराजू में नहीं तुल पाते हैं, बेकार हैं त्याज्य हैं

अभी अभी गत सप्ताह पेशावर की साढ़ें तीन शताब्दियों से सूफी सम्प्रदाय की मस्जिद जिसमें अभी तक मजहबी गति विधियाँ होती रहती थी उस रहमान बाबा की मस्जिद को पवित्र कुरान और एक मात्र अल्लाह के मानने वालों ने विस्फोट करके ध्वस्त कर दिया। अयोध्या के विवादित ढांचे में तो एक अरसा से मजहबी गतिविधियाँ बंद भी रही परन्तु रहमान बाबा की मस्जिद में तो मजहबी कार्य अभी जारी थे। बाबरी विध्वंस के बाद तो गैर मुस्लिम सेकुलरिस्टों समेत विश्व के सभी मुस्लिमों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी किन्तु आज मौन है। इस दृष्टि से 171 अंक में संघ पर जितने लांछन लगाये गए हैं वे पूर्वाग्रही हैं तथा श्री ओम पाल जी मेरठ के एक भी प्रश्न का यथोचित उत्तर नहीं है। हिन्दू तो संघ ही क्या? कहीं भी किसी भी स्थल पर एक मत नहीं रहा है। यह बात जयचंद से लेकर आज तक सटीक है।

आपका

सत्यदेव गुप्त ' सत्य '

नयागंज, रूदौली, फैजाबाद

उत्तर— आपने इस्लाम को ठीक से समझा नहीं। आपने जैसा समझा उसकी अपेक्षा उसकी मान्यताएँ कई गुना अधिक खतरनाक हैं। यदि उनका बस चले तो वे सभी गैर मुसलमानों का या तो मुसलमान बना लें या समुद्र में डुबा दें। उसकी शक्ति भी आपकी कल्पना से कई गुना ज्यादा है। यदि ऐसे खतरनाक विचारों के विरुद्ध दुनिया के सभी गैर मुस्लिम लोग एक जुट हों तो इसमें बाधक संघ है या मैं? संघ हिन्दू धर्म का प्रचार करे किन्तु इस्लाम से संघर्ष के मुद्दे पर बनने वाले विश्व जनमत में बाधक न बने। हिन्दुओं के वोट लेने के उद्देश्य से चौधराहट दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है।

यदि इससे भी आगे बढ़कर हम न इस्लाम का विरोध करें न मुसलमानों का। हम सिर्फ आतंकवाद का विरोध करें और पूरे विश्व जनमत को एकजुट होने दें तो इसमें संघ सहमत क्यों नहीं। आतंकवादी चाहें हिन्दू हो या मुसलमान, वह इसाई हो या साम्यवादी सबके विरुद्ध एक विश्व स्तरीय साझा रणनीति बनाने में संघ को सहयोग करना चाहिये। अभी अभी वरुण गांधी ने जो कहा वह कार्य यदि वे वास्तव में कर दें तब आतंकवाद माना जाय या नहीं। यदि वरुण गांधी यह कहें कि मैं चुनाव जीत गया तो सारे मुसलमानों को फांसी देने का कानून बनाने की मांग करूंगा तो यह कथन उस कथन से भिन्न है जो उन्होंने कहा। मैं न वरुण ने कहा उसका समर्थक हूँ न मैंने वरुण के कथन का संशोधन किया उसका। मैं तो पक्षधर हूँ आतंकवाद के विरुद्ध कठोरतम सफल कार्यवाही का। मैं तो समर्थक हूँ आतंकवादियों को खुलेआम चौक पर फांसी देने के कानूनी प्रावधान का। जब अपने मन माफिक कानून बनाने का हमें पूरा पूरा अधिकार है तो कानून बदलने की आवाज न उठाकर कानून हाथ में लेने की आवाज उठाना आतंकवाद नियंत्रण में बाधक है जो गलती संघ भी कर रहा है और वरुण भी। मुस्लिम तुष्टीकरण के विरुद्ध कांग्रेस को सहमत करना कठिन नहीं। यदि कांग्रेस तुष्टीकरण न छोड़े तो उसकी जगह तुष्टीकरण विरोधी या आतंकवाद विरोधी सरकार भी बन सकती है किन्तु चाहे आतंकवाद रहे या नहीं किन्तु प्रधान मंत्री तो भाजपा का ही होगा यह संभव नहीं। यह भी संभव नहीं कि भारत हिन्दू राष्ट्र ही बने।

आपने लिखा कि इस्लाम एक नेता, एक पथ, एक किताब, एक रसूल हेतु मजबूर करता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हिन्दुओं को भी उसी रास्ते चलने हेतु प्रेरित करना उचित होगा? यदि नहीं तो आप क्यों एक भाषा एक देश के लिये संघर्ष रत हैं? क्यों आप राष्ट्र को समाज से बड़ा सिद्ध करते रहते हैं।? परिवार को पहली इकाई मानकर उसे राष्ट्र से भी अधिक शक्ति सम्पन्न बना दिया जावे तो संघ सहमत क्यों नहीं? संघ वालों से पूछकर बताइये कि वे परिवार गांव जिले को अधिकतम अधिकार सौंपकर केन्द्र सरकार को सुरक्षा और न्याय तक सीमित करने के पक्ष में हैं या विपक्ष में? अब दुलमुल काम नहीं चलेगा।

मैंने अपनी राय आपको बताई है। मेरे विचार में यही एक मात्र मार्ग है कि सुरक्षा और न्याय के लिये विश्व एकता मजबूत की जावे तथा अन्य सभी दायित्व परिवार, गांव, जिला, प्रदेश में बांट दिये जावें। आतंकवाद के विरुद्ध विश्व जनमत को इक्का किया जावे तथा इस कार्य में बढ चढ कर भाग लेने वाला संगठन स्वयं सत्ता संघर्ष से बाहर हो। यदि इतनी शर्तें मंजूर हों तो संघ के साथ बैठकर योजना बननी चाहिये। यदि संघ के दिमाग में इससे कोई भिन्न योजना हो तो स्पष्ट करें। हिन्दू ही नहीं, गैर हिन्दुओं को भी सहमत करने में मेरा पूरा सहयोग रहेगा।

(च) श्री बाल कृष्ण पिल्लै, गीताभवन, पेरुरकटा, तिरुअनन्तपुरम 695005

ज्ञान तत्व एक सौ अरसठ मिला। पचीस लाख रूपये की अपनी रखी हुई पूँजी ट्रस्ट को सौंपकर स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य को ट्रस्ट की स्थायी समिति में न रखने का आपका निर्णय विलक्षण आदर्श प्रस्तुत करता है मानव समाज आपके इस त्याग पर गर्व करेगा।

आपने भविष्य की योजना में तीन टीमों का जो कार्य विभाजन किया है वह बहुत ही व्यावहारिक लगता है। इतना गंभीर किन्तु मौलिक कार्य विभाजन एक बहुत कठिन कार्य है जो आपने किया है। मैं मानसिक व्यायाम टीम से जुड़ना चाहता हूँ। क्या प्रकिया होगी यह लिखने की कृपा करें

उत्तर— मैंने जो किया वह कोई विलक्षण कार्य न होकर स्वाभाविक कार्य मात्र है। मुझे कई वर्ष पूर्व से ही महसूस होता था कि गांधी जी की एक भूल के कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था लम्बी गुलामी में समा गई। अभी भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह गुलामी और कितनी लम्बी चलेगी। जब गांधी जी के घोषित वारिस ही गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में बैठकर गुलामी के विरुद्ध संघर्ष के खिलाफ फतवा जारी करने लगे हो तब इस गुलामी की अवधि का क्या आकलन करें? इसलिये समयवहद निर्णायक तथा अल्प कालिक योजना को दीर्घकालिक में बदलना आवश्यक समझा गया।

यदि सारा संघर्ष मेरे नेतृत्व में शुरू होता तो संभव है कि संघर्ष को दस पांच प्रतिशत अधिक गति मिलती किन्तु वैसी स्थिति में मेरे हटते ही लाभ की अपेक्षा कई गुना अधिक नुकसान का खतरा स्पष्ट दिख रहा था। गांधी जी के जाने का उदाहरण हमारे सामने है। इसलिये उचित यही था कि एक अच्छी समझदार संघर्ष शील टीम को आगे लाकर स्वयं किनारे हो जाया जाये। मैंने तो सिर्फ इतना ही किया है। सत्ता और सम्पत्ति से स्वयं को मुक्त करके ठीक लाइन की है। ट्रस्ट में स्वयं को या परिवार के लोगों को शामिल करना घातक होता क्योंकि ट्रस्ट का उद्देश्य सेवा कार्य न होकर समाज सशक्तिकरण राज्य कमजोरीकरण तक सीमित है। मेरे परिवार के लोग अलग से एक लाख रूपया शामिल करके साधारण सदस्य बन सकते हैं

आपने मानसिक व्यायाम का विवरण जानना चाहा है। बहुत शीघ्र ही वह विधि आपके समक्ष आ जावेगी मैं आपको खबर करूँगा।

(छ) श्री कुन्दन लाल कुशवाहा, खलीलपुर, बदायूँ, उत्तर प्रदेश

ज्ञान तत्व 170 मिला पढ़ते पढ़ते इच्छान होते भी पत्र लिखने का विचार सबल हुआ क्योंकि राष्ट्र भक्ति का उफान रुक नहीं पाया। मैंने आपको पिछले पत्र में महाकाल भगवान के पांच वीर भद्रों में से एक बता कर आपके व्यक्तित्व की पहचान कराई थी वह आपको शायद अच्छी नहीं लगी। अब मैं आपकी गिनती आधुनिक महानायक चाणक्य या समर्थ गुरु रामदास जी से कर रहा हूँ जिन्होंने साधारण से नागरिकों का आगे कर राजनीति का नकशा पलट दिया। यह सब कुछ आपको अवसर की पहचान का संकेत करने के लिये लिख रहा हूँ। प्रेरणा उसी की शक्ति की है जो युग परिवर्तन का सरजाल जुटा रही है

संयोग की बात है कि अभी एक नया महानंद सम्राट अशोक महान के पदचिन्हों पर पंचशीलो में मचाहित तैयार हुआ है जिसने अच्छा लक्ष्य सत्ता संग व्यवस्था परिवर्तन स्वच्छ पारदर्शी राजनीति वेदांग प्रत्याशी रखने का संकल्प किया है। यह बात मुझे 22.2.09 को फरुखाबाद की जन सभा में मालूम हुई है। इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशवप्रसाद जी मौर्य हैं। यदि उन्हें चाणक्य के समान संरक्षण एवं मार्गदर्शन दे सके तो यह चन्द्रगुप्त मौर्य शासन रूप नन्दवैश (मूष राजनीति) को समाप्त करने में काफी सहासक सिद्धि हो सकेगा तथा अपना अभियान भी राजनवतिक चुनावी पंखों पर बैठ जन के दिल दिमाग में उतर कर संघर्ष का रूप ले लेगा। मेरे विचार से इससे आपकी महत्वाकांक्षा को ठेस नहीं पहुँचेगी और सम्मानित पूजार्नाथ गुरु पदवी भी प्राप्त हो जायेगी। आशा है इस अल्पवृद्धि प्रार्थी की सलाह पर गहन विचार करेंगे।

उत्तर— आपने पूर्व पत्रों में मेरी तुलना महाकाल के पांच वीर भद्रों में एक बताकर की थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा लगना भी नहीं चाहिये था क्योंकि ऐसी तुलना अहंकार का आधार होती है। मेरी प्रशंसा मेरे समक्ष करना अच्छा भी हो सकता है और घातक भी। इसलिये ऐसे प्रशंसा मुझे प्रोत्साहित करे तो उपयोगी है और अहंकार पैदा करे तो घातक। अपनी स्वाभाविक कमजोरी का आकलन करके मैंने इसे ठीक नहीं माना।

इस बार आपने मुझे चाणक्य के समान उपयोगी समझा है। मेरे एक अच्छे सलाहकार तथा पचीस दिसम्बर को घोषित ट्रस्ट के महत्वपूर्ण सदस्य बम्हचारी राजसिंह जी आर्य ने छ माह पूर्व मुझे चाणक्य सीरियल देखने की सलाह दी थी। मैंने कैसेट खरीदकर चौवालीस दिनों में देखा। मैंने चाणक्य के सम्बन्ध में दो भूमिकाओं पर विचार किया

1.सिकन्दर के भारत में साम्राज्य विस्तार के विरुद्ध राष्ट्रवादी शक्तियों का एकत्रीकरण तथा 2. नंद वंश का समूल नाश। पहली भूमिका की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सिकन्दर को एक विदेशी आक्रमणकारी न समझकर सभी भारतीय राजा अपने अपने क्षेत्रीय लाभ हानि के आधार पर नीति निर्धारण करते थे। इसका परिणाम था कि सिकन्दर लगातार सफल होता जा रहा था। चाणक्य ने ऐसे राजाओं में राष्ट्र भाव भरा और उन्हें एक जुट होकर संघर्ष की प्रेरणा दी। जो राजा नहीं माना उसके विरुद्ध क्षात्रो तथा शिक्षकों के नेतृत्व में विद्रोह भी खड़ा करवाया। चाणक्य ने प्रमाणित किया कि शिक्षक सर्वोच्च होता है। वह सामान्यकाल में तो समाज का मार्ग दर्शन मात्र ही करता है किन्तु आपात्काल में स्वयं अपने प्राण खतरे में डालकर भी संघर्ष में आगे आता है। शिक्षक कभी कायर नहीं होता न ही सरकार का गुलाम होता है जिस तरीके से चाणक्य ने सिकन्दर के विरुद्ध योजना बनाई वह बहुत आदर्श मानी जा सकती है।

चाणक्य की दूसरी भूमिका है नन्द वंश के विरुद्ध। चाणक्य के पिता उक्त राज्य में एक आचार्य थे। उस राज्य में लकड़ी पर राजा टैक्स लेता था। जिसके विरुद्ध चाणक्य के पिता ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। राजा ने उक्त आचार्य पर अत्याचार किये। प्रतिक्रिया स्वरूप चाणक्य ने उक्त राजा को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। चाणक्य ने इस कार्य में सारी सीमाएँ तोड़कर काम किया। पूरा सीरियल देखने के बाद चाणक्य के प्रति मेरे मन में कोई अच्छी तस्वीर नहीं बन पाई। सम्पूर्ण घटनाक्रम किसी अत्याचारी राजा के अत्याचारों से त्रस्त प्रजा की मुक्ति का संघर्ष न दिखकर चाणक्य पर अपने पिता के विरुद्ध हुए अत्याचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया अधिक दिखी। राजा महानन्द वैसा अत्याचारी नहीं दिखा जिसके विरुद्ध इतना गंभीर युद्ध उचित था। युद्ध में विजय चाणक्य की हुई। सभी राजा बिना प्रत्यक्ष युद्ध के ही चाणक्य की कूटनीति के कारण आपस में ही कट मरे। उनकी इस भूमिका का मेरे मन पर कोई आदर्श प्रभाव नहीं पड़ा।

आचार्य समाज का एक उच्च सम्मान प्राप्त पद है। उसे व्यक्ति परिवार गांव या राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। आचार्य का कर्तव्य है कि वह इनकी आन्तरिक व्यवस्था को अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन तक ही स्वयं को सीमित रखे। यदि कोई परिवार गलती भी करे तो आचार्य को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचना चाहिये और गांव या राज्य के भरोसे छोड़ देना चाहिये किन्तु कभी बिल्कुल ही असाधारण स्थिति आ जावे तथा कोई एक इकाई अनियंत्रित भी हो जावे और गलत भी करने लगे तब आचार्य को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना चाहिये। किन्तु ऐसे किसी हस्तक्षेप में भी कूटनीति या कपट का आश्रय तब तक नहीं लेना चाहिये जब तक बिल्कुल ही आपात्कालीन स्थिति न आ जावे। जब कोई राजा अधिकतम शक्ति सम्पन्न भी हो जावे तथा अधिकतम उच्चश्रृंखल भी तभी आचार्य को कूटनीति या छल कपट का सहारा लेना चाहिये। सिकंदर से युद्ध में यदि चाणक्य ने कूटनीति का आश्रय लिया तो वह देश काल परिस्थिति के अनुसार एक आवश्यक और उचित कदम था विदेशी शक्तियों द्वारा देश और समाज को गुलाम बनाने का खतरा था। कोई अन्य समाधान दिख ही नहीं रहा था। सिकन्दर किन्ही सामाजिक नियमों कानूनों का पालन भी नहीं कर रहा था। वैसी स्थिति सिकन्दर के विरुद्ध एक मजबूत राजनैतिक शक्ति खड़ी करके कूटनीति या छल कपट का सहारा लेना उचित था। किन्तु नंद के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। नन्द से संघर्ष सिकन्दर से संघर्ष से भिन्न स्वरूप का होने से उसमें इस सीमा तक कूटनीति या छल कपट का मार्ग अपनाना किसी आचार्य के लिये आदर्श स्थिति नहीं माननी चाहिये। मेरा व्यक्तिगत मत तो ऐसा ही है कि चाणक्य को राजनैतिक संघर्ष में नहीं कूदना चाहिये था।

चाणक्य की भूमिका सिकन्दर के साथ समाप्त हुई वर्तमान सामाजिक राष्ट्रीय संदर्भ में हमारी भूमिका क्या हो क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमिका की परिस्थितियाँ उपस्थित हो चुकी हैं कि कोई आचार्य अब विशेष स्थिति घोषित करके समाज को संगठित करे तथा क्या ऐसीही परिस्थितियाँ बन चुकी हैं कि कोई आचार्य आपात्काल घोषित करके कूटनीति या छल कपट का मार्ग अपना लें। मैंने गंभीरता से विचार किया। भारत की यदि समीक्षा करें तो भारत में अभी न तो कोई विदेशी आक्रमण हुआ है न ही ऐसा कुछ दिखता है। भारत की आन्तरिक व्यवस्था की सरकार चल रही है। किसी व्यक्ति या परिवार की तानाशाही नहीं। ऐसी राजनैतिक स्थिति में आज भारत की आन्तरिक व्यवस्था में किसके विरुद्ध चंद्रगुप्त की जरूरत है? यदि लोकतंत्र को लोकस्वराज्य में बदलना उद्देश्य है तो वह कार्य नंद वंश और चंद्रगुप्त के बीच न होकर सामूहिक प्रयत्नों से ही संभव होगा जो काम मैं कर रहा हूँ। चाणक्य की भूमिका का अर्थ है कूटनीति का सहारा। जब शत्रु ही स्पष्ट नहीं है तथा कूटनीति के अतिरिक्त अन्य मार्ग भी उपलब्ध है तो चाणक्य की भूमिका उचित नहीं। मेरे विचार में तो चाणक्य की भूमिका बिल्कुल अन्तिम स्थिति में ही अपनानी चाहिये जिसकी अभी आवश्यकता नहीं दिखती। सामान्य भूमिका में व्यवस्था परिवर्तन का कार्य चल ही रहा है। यदि यह कार्य बढ़ा लिया जावे तो पर्याप्त है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का आकलन करे तो विश्व में इस्लामी आतंकवाद का साम्यवाद के साथ गठजोड़ खतरनाक गति से बढ़ रहा है। उसके लिये विश्व समुदाय एक साझा रणनीति के प्रयत्न में है। इस कार्य में मेरी क्षमता चाणक्य के समान नहीं है कि मैं कोई निर्णायक पहल कर सकूँ। विश्व मानवता के विरुद्ध उत्पन्न कट्टरवादी इस्लामिक साम्यवादी गठजोड़ के विरुद्ध भारत भी एकजुटता दिखाये और उस एकजुटता में मैं चाणक्य के समान संघ परिवार सर्वोदय जैसी संस्थाओं को आन्तरिक कटुता को बाधक बनने से रोक सकूँ इतना ही मेरे लिये संभव है। वह काम मैं कर भी रहा हूँ। मुझे गालियाँ देने वाले सर्वोदय में भी बहुत मिलेंगे और संघ परिवार में भी। अन्य छोटे छोटे समूह भी छिट फुट विरोध करते ही रहते हैं किन्तु आप देख ही रहे हैं कि सबकी गालियाँ सुनने के बाद भी मैं इन धर्म या राष्ट्रवाद के नाम पर बेमतलब लड़ने वालों को व्यापक मानवीय संदर्भ में आतंकवाद के विरुद्ध एक जुट होने हेतु प्रेरित कर रहा हूँ।

भारत के आन्तरिक मामलों में भी संघर्षरत इन समूहों को लोक स्वराज्य के नाम पर एकजुटता में सफलता मिल ही रही है। यदि बिना एक चंद्रगुप्त तैयार किये तथा बिना कूटनीति या धूर्तता का सहारा लिये हमारा उद्देश्य पूरा होने की संभावना है तो चाणक्य की भूमिका की आज मैं आवश्यकता या औचित्य नहीं समझता। विषय गंभीर है तथा मेरा विचार निष्कर्ष स्वरूप में न होकर विचारार्थ ही है। इसलिये इस विषय पर आप सब भी लिखें।

(ज) श्री ईश्वर दयाल जी, मुजफ्फरपुर, राजगीर, नालन्दा, बिहार 803116

ज्ञानतत्त्व एक सौ इकहत्तर मिला। आपने तीन टिप्पणियों की हैं जिन्हें और स्पष्ट होना चाहिये

1. गांव, जिला, प्रदेश और राष्ट्र व्यवस्था की आन्तरिक इकाइयाँ हैं जबकि परिवार स्वतंत्र इकाई।
2. धर्म की दो पहचान हैं 1. गुणप्रधान आचरण 2. संगठन प्रधान या पहचान प्रधान आचरण। यदि ये दोनों धर्म हैं तो फिर सम्प्रदाय क्या है? यदि संगठन प्रधान या पहचान प्रधान आचरण कर्ताओं के समूह को धर्म कहना

बन्द करके सम्प्रदाय कहना शुरू कर दे तो क्या पूरी समस्या समाप्त नहीं हो जायगी क्या इससे साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा धर्म शब्द का दुरुप्रयोग करने से रोकने में सुविधा नहीं होगी?

3. आपने लिखा है कि आध्यात्म व्यक्ति का निष्क्रिय तथा अव्यावहारिक बनाता है। सच्चाई यह है कि आध्यात्म व्यक्ति को अति सक्रिय, अत्याधिक व्यावहारिक बनाता है। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दयानन्द, विवेकानन्द, अरविन्द आदि आध्यात्मिक होते हुए भी न निष्क्रिय थे न अव्यावहारिक।

उत्तर— 1. पश्चिम दो मूल इकाइयों मानता है 1. व्यक्ति 2. समाज। भारत मानता है कि व्यक्ति और समाज के बीच परिवार भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होना चाहिये। मुझे भी लगता है कि समाज व्यवस्था की मूल इकाई परिवार का होना अधिक सुविधा जनक भी होगा और व्यावहारिक भी। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था की सूक्ष्म विवेचना के लिये अभी और मंथन करना होगा। कभी भविष्य में इस पर और चर्चा कर सकते हैं।

2. धर्म और साम्प्रदाय की पृथक पृथक अभिव्यक्ति हो यह बहुत अच्छी बात है किन्तु जब तक ऐसा न हो तब तक क्या करें वर्तमान समय में धर्म शब्द समाज में दोनों अर्थों में व्यापक प्रचलन में है। जब तक समाज का बहुमत धर्म और साम्प्रदाय को अलग अलग नहीं करता तब तक धर्म शब्द का प्रयोग करना हमारी मजबूरी है। धर्म निरपेक्षता शब्द का वास्तविक अर्थ तो भ्रमक है ही किन्तु भारत के निर्यान्तवे प्रतिशत लोग धर्म निरपेक्षता का अर्थ साम्प्रदायनिरपेक्षता ही समझते हैं।

हरिजन शब्द का रूढ़ अर्थ अलग है और वास्तविक अलग। अनुसूचित जाति कहने की अपेक्षा हरिजन कहना आमलोग आसानी से समझ रहे हैं यद्यपि इस शब्द का प्रयोग घातक है ऐसे भ्रमक शब्दों का प्रचलन बन्द होना की योजना बननी चाहिये।

धर्म निरपेक्षता को साम्प्रदाय निरपेक्ष लिखने में एक और कठिनाई आ सकती है कि हिन्दू समुदाय को धर्म कहे या साम्प्रदाय। यदि हम धर्म निरपेक्षता के स्थान पर साम्प्रदाय निरपेक्षता लिखें तो हिन्दू वादी संगठन स्वयं को साम्प्रदाय की परिभाषा से बाहर करके इसका दुरुप्रयोग करना शुरू कर देंगे। इसलिये शब्द के भ्रमक अर्थ को बदलने में हम अपनी शक्ति नहीं लगा रहे।

3. आपने जिन महापुरुषों के नाम गिनाये हैं वे धर्म प्रधान थे या समाज प्रधान या आध्यात्म प्रधान यह निश्चित नहीं। मैं इन सबको आध्यात्मिक नहीं समझता क्योंकि इन सबने व्यक्ति को आत्मकेन्द्रित होने की सीख न देकर समाज व्यवस्था में जाने की प्रेरणा दी है। आध्यात्मिक प्रधानता वाले तो समाज और परिवार का नश्वर मानकर आत्मा परमात्मा तक सिकुड़ते रहते हैं। वर्तमान में भी कई लोग आत्म उत्थान की दिशा में लगातार प्रेरित करते रहते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि यदि आध्यात्म धर्म और समाज की अलग अलग व्याख्या करे तो मैंने आध्यात्म की जो व्याख्या की है वही ठीक है क्योंकि धर्म और समाज व्यक्ति को आध्यात्म की अपेक्षा अधिक सक्रिय और व्यावहारिक बनाते हैं।